



“जीवन प्रकाश” मंडलकार्यालय, जयपुर रोड, बीकानेर (राज.)

निविदा से संबंधित नियम व शर्तें

1. निविदाएं तय समय व दिनांक पर कार्यालय समय के दौरान कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। दरें केवल संलग्न पत्र में ही प्रस्तुत करें। निविदा कर्ता द्वारा आइटम की सूची/Make इत्यादि में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया गया तो वह स्वीकार्य नहीं होगा।
2. निविदा की अवधि सक्षम अधिकारी द्वारा दरो की स्वीकृति से एक वर्ष तक मान्य होगी इस अवधि में आवश्यकतानुसार आपूर्ति करने का आदेश किया जाता रहेगा।
3. निविदा में वर्णित सामान की आपूर्ति निविदा में दिए गए पते पर करनी होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का अन्य खर्चा नहीं दिया जाएगा। जीएसटी का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार ही देय होगा। दरें जीएसटी रहित देवे एवं सामान की आपूर्ति मंडल कार्यालय भारतीय जीवन बीमा निगम “जीवन प्रकाश” जयपुर, रोड बीकानेर पर पहुंचानी होगी।
4. सक्षम अधिकारी किसी भी निविदा को निरस्त करने, निविदा के किसी सामान को निरस्त करने, सामान की संख्या बढ़ाने/घटाने समान की गुणवत्ता के अनुसार न्यूनतम कोटेशन आने पर भी निरस्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं।
5. आदेश देने की तिथि के 15 दिनों के अंदर सामान की आपूर्ति करनी आवश्यक होगी। आपूर्ति में देरी होने पर 16 वे दिन से 20 दिन के अंदर आपूर्ति आने पर 3%, 21 दिन से 25 वे दिन के अंदर आपूर्ति आने पर 4%, व 26वे दिन से 30 दिन के अंदर आपूर्ति पर 5%, संपूर्ण बिल राशि का पेनल्टी के रूप में काटा जाएगा।
6. सामान की आपूर्ति 30 दिनों तक प्राप्त न होने पर आपूर्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा व आपूर्ति आदेश अगले न्यूनतम बिड वाले को दिया जाएगा व अंतर की राशि मूल आपूर्तिकर्ता फर्म से वसूली जाएगी।
7. यदि आप की फर्म की न्यूनतम दर है तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने पर आप सामग्री आपूर्ति हेतु बाध्य होंगे।
8. आपकी फर्म सामान आपूर्ति नहीं करती है तो सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि आपकी फर्म को ब्लैक लिस्ट करें।
9. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र बीकानेर ही होगा।
10. निविदा संख्या 01 के अंतर्गत टेंडर अवधि के दौरान कुल अनुमानित लागत राशि लगभग 2.50 लाख रहेगी जिसमें अनुमानित लागत राशि को +25% ओर -25% तक परिवर्तित किया जा सकता है ।
11. Tax में कटौती भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगी ।
12. वेंडर को निविदा के साथ रु 5000 -/EMD के रूप में demand draft/ banker's cheque/NEFT (in favour of LIC OF INDIA) के द्वारा संलग्न करने होंगे । MSME वेंडर को EMD राशि जमा करवाने की बाध्यता नहीं है । परंतु

इसके लिए वेंडर को MSME certificate निविदा के साथ ही संलग्न करना होगा । Non MSME वेंडर को EMD नहीं देने की स्थिति में उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा । Unsuccessful Tenderers को यह राशि निविदा खोलने की तिथि के 30 दिन के अंदर बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी ।

13 . Successful tenderers will have to provide Security Deposit @ 5% of the contracted value (where the tender value or quantum of order placed exceeds amount of Rs. 1 Lacs) in the form of Demand Draft/ Bankers Cheque/Bank Guarantees through Scheduled Banks. The deposit shall not carry any interest.

14 . In case of unsatisfactory services LIC may debar/blacklist the concerned Supplier and the decisions will be final and binding .

15 . बंद लिफाफे में निविदा कार्यालय में पहुंचने की अंतिम तिथि 02.09.2024 को शाम 02.00 बजे तक है एवं दिनांक 02.09.2024 को शाम 4.00 बजे निविदा खोली जाएगी जिसमें आपकी उपस्थिति अपेक्षित है यदि आपकी फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं तो यह स्वतः समझा जाएगा कि आप निविदा प्रक्रिया से पूर्ण संतुष्ट है ।

16. THE INSURANCE LAWS (AMENDMENT) ACT, 2015

1. In terms of provisions of Section 33 (3) of The Insurance Laws (Amendment) Act , 2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), is authorized to verify all such books of account, register, other documents and the data base in the custody of the contractor in respect of service outsourced by the LIC of India. It shall be the duty of the contractor to provide such documents/statements/information as may be required by IRDAI within such time as may be specified by IRDAI .

2. In terms of provisions of Section 33 (4) of The Insurance Laws (Amendment) Act , 2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), if it considers expedient to do so, may direct any person hereinafter referred to as "Investigating Officer", to make an investigation as specified under Sec.33 (1) or carry out an inspection as specified under Section 33 (2) of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, who may examine on oath any Manager, managing Director or Other Officer of the service provider or contractor where the services are outsourced by LIC of India.

प्रबंधक (का .सेवा)



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

“जीवन प्रकाश” मंडलकार्यालय, जयपुर रोड, सेक्टर नंबर 6-7, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर (राज.)

UNDERTAKING

REF : TENDER NO. 01-2024/ TABLE ITEMS

We hereby confirm that we have not been black-listed by LIC or PSU/BFSI organization / Government / Semi Govt. / Quasi Govt. Departments in India, as on date of submission of bid in response to the above.
I am also agree with your term and conditions quoted in tender.

Dated at _____ this _____ day of _____ 20_____ .

Authorized Signatory
Signature

Name :

Designation:

Name and Address & Seal of the company: